



जागरण

हाजीपुर में ब्रांडेड कंपनियों का भारी मात्रा में नकली सामान बरामद

Publish Date: Wed, 15 May 2019 10:54 PM (IST)



जागरण संवाददाता, हाजीपुर : पटना के मालसलामी थाना क्षेत्र में ब्रांडेड कंपनियों के पकड़े गए नकली सामानों के मामले का तार हाजीपुर से भी सीधा जुड़ गया है। नगर थाना क्षेत्र के छोटी मड़ई मोहल्ला स्थित एक लॉज से पुलिस ने छापेमारी कर बड़ी मात्रा में नकली सामानों को बरामद किया है। हालांकि इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है।

जानकारी के अनुसार नगर थाना क्षेत्र के छोटी मड़ई मोहल्ला स्थित जगदेव सिंह के पुत्र अमरजीत सिंह के लॉज में बुधवार को नगर थाना की पुलिस ने एसआइ रामाशंकर साह के नेतृत्व में छापेमारी की। वहां से ब्रांडेड कंपनियों के नकली सामान के भंडारण का पर्दाफाश किया है। यहां से पुलिस ने कई कंपनियों के नकली सामान एवं विभिन्न कंपनियों के रैपर बरामद किए गए हैं। लॉज से बरामद सामानों में रूपा कंपनी का नकली बनियान, न्यूरोलेक कंपनी के नकली वाल पेंट, नकली ठंडा तेल, नकली क्रीम, ब्रांडेड कंपनी का रैपर एवं खाली बोतलें शामिल हैं।

जानकारी देते हुए नगर थानाध्यक्ष अंजनी कुमार ने बताया कि एंटी करप्शन के डायरेक्टर मो. मुस्तफा हूसैन की निशानदेही पर यह कार्रवाई की गई है। कार्रवाई के दौरान लॉज से नकली सामानों को पकड़ा गया है। हाजीपुर के विभिन्न दुकानों में इसे खपाया जाता था। प्रथम श्रेणी इसमें जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार पटना सिटी का एक बड़ा कारोबारी हाजीपुर के मड़ई मोहल्ले में किराए का मकान लेकर नकली सामानों का भंडारण करता था। यहां से पूरे वैशाली जिले में नकली सामानों की सप्लाई की जाती थी।

बरामद सामानों की कीमत लाखों में हैं। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। हालांकि इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। उन्होंने बताया कि मकान मालिक के पास से बरामद किराएदार की आइडी से पता चला है कि पटना जिले के गुलजारबाग थाना क्षेत्र के अमरपुर हाउस नंबर-9 निवासी कृष्णा ठाकुर के पुत्र सोनू ठाकुर ने यह मकान ले रखा था। पुलिस उसकी गिरफ्तारी के प्रयास में जुट गई। इसके पहले करीब छह माह पूर्व सोनपुर में छापेमारी कर पुलिस ने भारी मात्रा में नकली सामानों की बरामदगी की थी।

Posted By: **Jagran**

Source: <https://www.jagran.com/bihar/vaishali-duplicate-goods-of-a-branded-company-found-19225692.html>